भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2322

13 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

चंडीगढ़ में पीएमएवाई-यू परियोजनाएं

2322. श्री मनीश तिवारीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चंडीगढ़ के मलोया में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत निर्मित मकान आवंटित नहीं किए गए हैं और वे जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं, विशेषकर तब जब चंडीगढ़ को अभी भी झुग्गी- झोपड़ी मुक्त शहर का दर्जा हासिल करना शेष है;

(ग) चंडीगढ़ में विभिन्न पीएमएवाई-यू परियोजनाओं और पीएमएवाई 2.0 योजनाओं के तहत शुरुआत में लेकर अब तक निर्मित मकानों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(घ) चंडीगढ़ में पीएमएवाई-यू योजना की शुरुआत से लेकर अब तक योजना के चारों वर्टिकल के तहत लाभार्थियों की वर्षवार संख्या कितनी है; और

(ङ) चंडीगढ़ में पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई 2.0 योजनाओं के तहत शुरुआत में लेकर अब तक वर्षवार कुल बजटीय आवंटन और व्यय कितना है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) चंडीगढ़ सहित देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त सभी मौसम में रहने योग्य पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) को क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना को चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।

पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है। लाभार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले विभिन्न घटकों के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन, परियोजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय

स्वीकृति और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) के अनुमोदन के बाद इन्हें केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा स्वीकार्य केंद्रीय सहायता के अनुमोदन के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, दिनांक 03.03.2025 तक, मंत्रालय द्वारा कुल 118.64 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 112.23 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और चंडीगढ़ सहित देश भर में 90.56 लाख आवास पूरे किए जा चुके हैं/ लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

योजना के सीएलएसएस घटक के तहत संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में कुल 1,255 परिवारों ने ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाया है। संघ राज्य क्षेत्र ने अभी तक पीएमएवाई-यू के किसी भी घटक के माध्यम से स्वीकृति के लिए मंत्रालय को परियोजनाएं प्रस्तुत नहीं की हैं।

हालांकि, चंडीगढ़ के मलोया में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत निर्मित 2,195 घरों को किफायती किराया आवास परिसरों (एआरएचसी) के तहत परिवर्तित कर दिया गया है, जिनमें से कुल 1,997 आवास वर्तमान में लाभार्थियों को किराये के आधार पर आवंटित किए गए हैं और आवासों का उपयोग किया जा रहा है।

(घ) और (ङ): पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेकर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और 01.09.2024 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन का शुभारंभ किया है, ताकि चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा किफायती लागत पर आवास बनाया, खरीदा जा सके और किराये पर लिया जा सके।

चूंकि पीएमएवाई-यू 2.0 एक मांग आधारित योजना है, इसलिए इस योजना के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कोई विशिष्ट बजटीय आवंटन नहीं है। इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों का चयन, परियोजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। मांग मूल्यांकन और सत्यापन के बाद, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं और एसएलएसएमसी के अनुमोदन के बाद इन्हें सीएसएमसी द्वारा स्वीकार्य केंद्रीय सहायता के अनुमोदन के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, पात्र लाभार्थियों के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर करने वाले 30 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 6.75 लाख से अधिक आवासों के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया जा चुका है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए इस योजना के दिशा-निर्देश और एकीकृत वेब पोर्टल को https://pmay-urban.gov.in पर देखा जा सकता है।

*****